

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dme12001@yahoo.com

दूरभाष क्रमांक 0755-2551719

वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in

फैक्स : 0755-2578844

क्रमांक 01-04/स्था/राज/2018

भोपाल दिनांक ~~—/12/2018—~~

प्रति,

01-01-2019

अधिष्ठाता,

चिकित्सा महाविद्यालय,

(सुपर स्पेशलिटी अस्पताल),

इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा ।

विषय:- "मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षक आदर्श नियम, 2018" में
आंशिक संशोधन किये जाने बाबत ।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ
2-57/2018/55-1 दिनांक 6.8.2018 एवं टीप क्रमांक 990/अ.मु.स/चि.
शि.वि/2018 दिनांक 11.12.2018

.....

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा "मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
चिकित्सा शिक्षक आदर्श, नियम 2018" में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

वर्तमान नियम 10.5- निशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायेगी । गृह भाड़ा भत्ता देय
नही होगा ।

प्रतिस्थापित नियम 10.5- निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायेगी । निःशुल्क आवास
सुविधा प्रदाय करने तक राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की भॉति गृह भाड़ा भत्ता
दिया जायेगा जो महाविद्यालय द्वारा आवास सुविधा प्रदाय (offer) की जाने की तिथि से
स्वयमेव बंद हो जायेगा ।

वर्तमान नियम 10.7- चिकित्सा शिक्षक को 05 वर्ष की सेवा देने के लिये बंधपत्र प्रस्तुत
करना होगा । 05 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे 01 वर्ष का वेतन सुपर
स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करना होगा ।

प्रतिस्थापित नियम 10.7- चिकित्सा शिक्षक को 03 वर्ष की सेवा देने के लिये बंधपत्र
प्रस्तुत करना होगा । 03 वर्ष की सेवा छोड़ने की दशा में उसे 01 वर्ष का वेतन सुपर
स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करना होगा ।

कृपया उपरोक्त संशोधन "मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा
शिक्षक आदर्श नियम, 2018" के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

01-01-2019

पृ0कमांक /स्था/राज/2019

भोपाल दिनांक ~~—/12/2018~~

प्रतिलिपि:—

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की टीप कमांक 990/अ.मु.स/चि.शि.वि/2018 दिनांक 11.12.2018 ।
2. संभागायुक्त इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा ।
3. निज सहायक, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा, स्थानीय कार्यालय ।
5. शाखा प्रभारी स्थापना अराज/नर्सिंग शाखा स्थानीय कार्यालय ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश